

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-80/2015

RCMS No-2015/00092

उनवान -सरकार बनाम श्री त्रिलोक कुमार (विकेता) एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी
हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया
कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) 52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -08.02.2020

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री त्रिलोक कुमार (विकेता) मॉ जगदम्बा एजेंसीज बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2014 को अप्रार्थी श्री त्रिलोक कुमार की मॉ जगदम्बा एजेंसीज बसेडी रोड बाडी, धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान गोदाम में 1.25 लीटर करीब 100 बोतलें स्वीटन्ड कार्बोनेटेड (थम्स अप) आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी जो देखने पर मिथ्याछाप प्रतित हुई तो वास्ते नमूना जांच 1.25 लीटर की 12 बोतलें स्वीटन्ड कार्बोनेटेड (थम्स अप) अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त स्वीटन्ड कार्बोनेटेड (थम्स अप) नमूना डी-612 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2014 के अनुसार उक्त स्वीटन्ड कार्बोनेटेड (थम्स अप) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। अनुसंधान दौरान मॉ जगदम्बा एजेंसीज बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर द्वारा हिन्दुस्थान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर का क्व बिल प्रस्तुत किया गया जिसे पक्षकार प्रकरण बनाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अभिभाषक के उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड स्वीटन्ड कार्बोनेटेड (थम्स अप)का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्राण्ड स्वीटन्ड कार्बोनेटेड (थम्स अप) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री त्रिलोक कुमार (विकेता) मॉ जगदम्बा एजेंसीज बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 3,000/-रुपये (तीन हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)